प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ...

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

सरोजकंवर ..... बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम दुरस्ती

मुकदमा नम्बर :– 119/2021

निर्णय दिनांक :– 25.11.2021

वादी की ओर से ...स्वयं.....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.11.2021 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम कोटवार रीवा के खातान 11,137 पर अंकित चूका पुत्री हुकमसिंह के स्थान पर सरोजकंवर पुत्री हुकमसिंह राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चूरू उम्बानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। मौके पर नाम दुरस्ती के सम्बन्ध में पक्षकार 100 बार दिखाई दुसरी तामील/जब्ती कार्ड की रहेगी।

खेर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 25.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 चूरू

25/11/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:17:30 IST
Reason: SelfAttested

नि० स० 489
25.11.2021